# भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
# Bharat Heavy Electricals Limited

प्रेषक: बी.शंकर, कार्यपालक निदेशक(मा.सं. एवं सीसी), कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

सेवा में:इकाइयों के प्रमुख

संख्या: एए/एचआर/जी/24/1 दिनांक: 16.09.2014

**कॉर्पोरेट मानव संसाधन परिपत्र संख्या**

**विषय:** व्हिसल ब्लोवर नीति

1.1 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी दिशानिर्देशों, सूचीबद्ध कंपनियों तथा स्टॉक एक्सचेंजों के बीच सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 और कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने 12.08.2014 को आयोजित अपनी 464वीं बैठक में बीएचईएल के व्हिसल ब्लोवर नीति अनुमोदित की है।

1.2 इस नीति में कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधड़ी या आचरण अथवा नैतिकता पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्रबंधन को करने का तंत्र दिया गया था। इस तंत्र में कर्मचारी द्वारा इस तंत्र का उपयोग करने पर उसको पीड़ित किए जाने के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा का भी प्रावधान है और आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे सम्पर्क करने की भी व्यवस्था है।

2. अनुमोदित व्हिसल ब्लोवर नीति की एक प्रति संलग्न है।

3.1 नीति के खंड 3(ग) के अनुसार 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है समय-समय पर इस नीति के अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने और कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या सीएमडी द्वारा नामित कोई भी कार्यात्मक निदेशक।

3.2 तदनुसार, सीएमडी ने इस नीति के अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए निदेशक(मा.सं.) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया है।

3.3 निदेशक(मा.सं.)/सक्षम प्राधिकारी का सम्पर्क विवरण इस प्रकार है:-

श्री आर.कृष्णन, निदेशक(मा.सं.)

कॉर्पोरेट कार्यालय, बीएचईएल सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049

फोन:26001003, ईमेल: rkrishnan@bhel.in

4.1 इस नीति के खंड 6(iii) में यह भी दिया गया है कि यदि व्हिसल ब्लोवर का यह विश्वास है कि सक्षम प्राधिकारी और शिकायत की विषयवस्तु के बीच कोई हित विरोध है, तब वह शिकायत को सीधे लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास भेज सकता है।

4.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का सम्पर्क विवरण इस प्रकार है:

सुश्री हरिन्दर हीरा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

द्वारा: कंपनी सचिव, बीएचईएल, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049

5. बीएचईएल की व्हिसल ब्लोवर नीति 16.09.2014 से लागू हो गई है।

6. इस परिपत्र/नीति की विषयवस्तु सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाए।

बी. शंकर

(बी.शंकर)

कार्यपालक निदेशक(मा.सं.एवं सीसी)

प्रति: निदेशक(मा.सं.)/कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

# लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) नीति

## 1. प्रस्तावना

(i) लोक उद्यम विभाग के 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दिया गया है कि अनैतिक व्यवहार, वास्तविक और संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा आचरण और नैतिकता पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु कर्मचारियों के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए । इस तंत्र में इस तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को पीड़ित करने के प्रति पर्याप्त संरक्षण देने की व्यवस्था किए जाने के अलावा अपवाद स्वरूप मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष से सीधे सम्पर्क करने की व्यवस्था होनी चाहिए । ऐसा ही प्रावधान सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों के बीच सूचीबद्ध करार के खंड 49 में किया गया है ।

(ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार:-

'(9) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या यथा निर्धारित कंपनियों की ऐसी श्रेणियां, जैसा निर्धारित किया जाए, निदेशक और कर्मचारियों के लिए एक सतर्क तंत्र की स्थापना करेंगी ताकि वे यथा निर्धारित रूप में वास्तविक सरोकारों की रिपोर्ट कर सकें । (10) उप धारा (9) के अंतर्गत सतर्क तंत्र में ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के पीड़ित किए जाने के प्रति पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने तथा उपयुक्त अथवा आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ सीधे सम्पर्क करने का प्रावधान होना चाहिए :

ऐसे तंत्र की स्थापना के विवरण का उल्लेख कंपनी की वेबसाइट में, अगर है तो, और बोर्ड की रिपोर्ट में भी किया जाएगा ।

(iii) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की यह नीति बना ली गई है और इसे उपर्युक्त प्रयोजन और उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है ।

(iv) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की इस नीति का किसी भी रूप में यह अर्थ नहीं है कि कंपनी में सतर्कता तंत्र का महत्व कम हो गया है ।.

## 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इस नीति को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की लोक प्रहरी(व्हिसल ब्लोवर) नीति कहा जाएगा । यह 16.09.2014 से लागू होगी ।

## 3. परिभाषा

(क) 'लेखापरीक्षा' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति से है ।'

(ख) 'कंपनी' का अर्थ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' है

(ग) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित कोई भी कार्यात्मक निदेशक, जो समय -समय पर इस नीति के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे ।

(घ) 'शिकायत' का अर्थ है इस नीति के अन्तर्गत की गई शिकायत जिसमें वह सूचना दी गई हो जो अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा अनुशासन और अपील नियम 1975/ स्थायी आदेश आदि में यथा निर्धारित आचरण एवं नैतिकता पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन का साक्ष्य हो ।

च)'कर्मचारी' का अर्थ है वह व्यक्ति जो कंपनी की नौकरी में है और इसमें प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में आए/कंपनी से गए व्यक्ति भी शामिल हैं ।

छ) 'धोखाधड़ी' में कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को धोखा देने, उनसे अनुचित लाभ उठाने या उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी कर्मचारी या किसी भी रूप में उनसे मिलकर कोई भी कार्य, चूक, किसी भी तथ्य को छिपाने या अपने पद का दुरुपयोग करना शामिल है । जांचकर्ता(ओं) से अर्थ है शिकायत की छानबीन करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति द्वारा अधिकृत, नियुक्त या वह व्यक्ति (वे व्यक्ति) जिससे परामर्श लिया या सम्पर्क किया गया है, और इसमें कंपनी के लेखापरीक्षक भी शामिल हैं ।

ज) 'जांच समिति' का अर्थ है, इस नीति के अंतर्गत गठित समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एक कार्यात्मक निदेशक और कॉर्पोरेट विभागों के दो प्रमुख शामिल हैं ।

झ)अनैतिक व्यवहार में नीचे उद्धृत कार्यों में कोई भी कार्य लेकिन वे इन तक ही सीमित नहीं हैं :

i) अधिकार का दुरुपयोग,

ii) किसी का उसकी सूचना या सहमति के बिना लाभ उठाने के लिए कार्य करना,

iii) वित्तीय अनियममितताएं,

iv) अनधिकृत व्यक्तियों को गोपनीय/मालिकाना सूचना को प्रकट करना,

v) कंपनी के धन/परिसम्पत्ति की बर्बादी//गलत उपयोग,

vi) सामाजिक अथवा व्यावसायिक व्यवहार के उपयुक्त मानकों का पालन न करना, अथवा

vii) अन्य कोई पक्षपातपूर्ण, अनुचित लाभ कारी या अविवेकपूर्ण कार्य

ट) 'उत्पीड़न' का अर्थ है केवल या अनुचित रूप से लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) को सज़ा देना या पक्षपात करना ।

ठ) 'लोक प्रहरी' (व्हिसल ब्लोवर) का अर्थ है वह कर्मचारी जिसने इस नीति के अंतर्गत शिकायत की है ।

## 4. पात्रता

सभी कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत शिकायत करने के पात्र हैं ।

## 5. लोक प्रहरी को संरक्षण

i) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी।

ii) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) का उत्पीड़न इस बात के लिए नहीं किया जाएगा कि उसने इस नीति के अंतर्गत शिकायत की है ।

iii) यदि लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) को विधिक या अनुशासनिक कार्यवाही में साक्ष्य देना अपेक्षित है तो अपनी यात्रा आदि के संबंध में व्यवस्था की जाएगी अथवा इस संबंध में उसके द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार उसकी हकदारिता के अनुसार की जाएगी ।

iv) इस नीति के अंतर्गत संरक्षण का अर्थ लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) द्वारा झूठी, प्रेरित या तंग करने वाली शिकायत से उत्पन्न अनुशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण से नहीं है ।

v) शिकायत की छानबीन या साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अन्य कर्मचारी को भी संरक्षण दिया जाएगा ।

## 6. कार्यविधि

(i) सक्षम प्राधिकारी/अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति का नाम, पता, सम्पर्क न. तथा ईमेल पता समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी कारणवश कंपनी में लेखा समिति का गठन नहीं हुआ है तो इस नीति के अंतर्गत कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कंपनी निदेशकों में से किसी एक को अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति के रूप में कार्य निर्वहन हेतु मनोनीत कर सकतें हैं।

(iii) यदि लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) का यह विश्वास है कि सक्षम प्राधिकारी एवं शिकायत की विषय वस्तु के बीच कोई हित विरोध है तब वह अपनी शिकायत को सीधे अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति C/o कंपनी सचिव, बीएचईएल, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 को भेज सकता है।

(iv) शिकायत को एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। शिकायत ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

(v) लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, जैसी भी स्थिति हो, का नाम लिखा जाना चाहिए। लिफाफे पर लोक प्रहरी नीति के अधीन शिकायत लिखा होना चाहिए। लिफ़ाफ़ा बंद/सुरक्षित न हो तो लोक प्रहरी की पहचान को सुरक्षित रखना संभव होगा ।

(vi) शिकायत हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए।

(vii) या तो टाइप की गई हो अथवा हाथ से साफ-साफ लिखी गई हो और शिकायत में उठाए गये मामले या संबंधित विषय की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग कल्पित न होकर तथ्यात्मक होनी चाहिए। इसमें यथासंभव संगत सूचना होनी चाहिए ताकि उससे प्रारंभिक समीक्षा करने तथा उचित मूल्यांकन में सहायता मिल सके।

(viii) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) को शिकायत के प्रारंभ व अंत या अलग से संलग्न पत्र में अपना नाम, पता, संपर्क संख्या एवं ई-मेल पता देना चाहिए ताकि आगे की कार्रवाई करते समय उसे छिपाया जा सके ।

(ix) लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) को अपना विवरण या अपनी पहचान या सुराग दिए बिना शिकायत को सावधानी से तैयार करना चाहिए। लेकिन शिकायत का विवरण विनिर्दिष्ट एवं सत्यापनयोग्य होना चाहिए।

(x) लोक प्रहरी को अपने हित में सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति से कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए । आवश्यकता होने पर किसी भी स्पष्टीकरण के लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) से संपर्क किया जाएगा ।

(xi) किसी बेनाम या छद्मनाम से प्राप्त शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 7. <u>कार्रवाई</u>

I. शिकायत प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता से से पता लगा सकते हैं कि क्या उसी ने ही शिकायत की या नहीं।

II. लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की पहचान को छिपाने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति शिकायत को जांच समिति के पास भेजेंगे। शिकायत का विषय और जांच समिति के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर शिकायत को सीधे जांचकर्ता (ओं) के पास छानबीन और उसकी रिपोर्ट के लिए भेजी जाएगी अथवा जैसा सही समझा जाए, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए ।

III. बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के विरुद्ध शिकायतों को लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की पहचान छिपाने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति द्वारा जैसी भी स्थिति हो, मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के पास आगे की कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

IV. जांच समिति शिकायत प्राप्त होने पर विवेकपूर्ण रूप से यह निश्चित करेगी कि आगे की जांच की आवश्यकता है या नहीं।

V. विवेकपूर्ण जांच के पश्चात या अन्यथा यदि जांच समिति का यह विचार है कि शिकायत की और जांच की जाने की आवश्यकता है तो वह आगे की जांच हेतु मामले को जांचकर्ता (ओं)) के पास भेजने की अनुशंसा करेगी । अनुशंसा प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, अध्यक्ष या लेखापरीक्षा समिति, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को जांचकर्ता (ओं) के पास आगे की जांच और रिपोर्ट के भेजेंगे ।

VI. यदि जांच समिति का यह विचार हो कि शिकायत पर आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं तब वह इस मामले को बंद करने और शिकायत को फाइल करने की अनुशंसा करेगी ।

VII. जांच समिति सामान्यतया शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अनुशंसा करेगी । किसी भी सदस्य(यों) की अनुपस्थिति में समिति के उपलब्ध सदस्यों द्वारा अनुशंसाएं की जाएंगी ।

VIII. किसी भी छानबीन के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारी की यह राय है कि वह छानबीन से संबंधित सूचना या प्रलेख प्रदान कर सकता है या छानबीन में

सहयोग कर सकता है है तो जांचकर्ता (ओं) उससे इस उद्देश्य के लिए जैसा भी आवश्यक हो, कोई भी ऐसी सूचना और प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं ।

IX. छानबीन के फलस्वरूप जांचकर्ता (ओं) की राय में यदि शिकायत अनैतिक व्यवहार तथा वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बीएचईएल सीडीए नियम 1975/ स्थाई आदेश में निर्धारित आचार संहिता आदि का उल्लंघन बताया गया हो तब वे निम्नलिखित अनुशंसा कर सकते हैं।-

क. अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण और नैतिकता पर कंपनी के सामान्य दिशा निर्देशों के उल्लंघन और/ या फिर से ऐसी घटना को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करना ।

ख. यदि शिकायत में प्रथम दृष्टि से यह प्रकट होता है संबंधित व्यक्ति द्वारा कोई भूल- चूक या त्रुटि हुई है जिसके कारण सीडीए नियम 1975/ स्थाई आदेश में, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करना ।

ग. जैसा उचित समझा जाए उसी के अनुसार अन्य कोई कार्रवाई।

X. शिकायत झूठी, प्रेरित या तंग करने वाली पाए जाने पर जांचकर्ता(गण) अनुशासनिक प्राधिकारी को लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगा (गें) ।

XI. यदि जांचकर्ता (ओं) द्वारा यह पाया जाता है कि शिकायत में आगे की कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तब वे मामले को बंद करने और उसे फाइल करने की अनुशंसा करेगा(गें) ।

XII. शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सामान्य रूप से जांचकर्ता (गण) सक्षम प्राधिकारी को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगा(गें) ।

XIII. यदि सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, जैसी भी स्थिति हो, जांचकर्ता (गण) की अनुशंसाओं से सहमत हैं, तब वे अनुशंसा के आधार पर शिकायत पर आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति जांचकर्ता (गण) की अनुशंसाओं से सहमत नहीं हैं, तब वे, जैसा ठीक समझें, कार्रवाई करेंगे ।

XIV. इस नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति द्वारा लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) की पहचान के बिना अग्रेषित की गई शिकायत को अनाम नहीं माना जाएगा।

XV. जिस प्राधिकारी के पास कार्रवाई के लिए शिकायत प्रेषित की जाती है, वह अंतिम निर्णय के बारे में यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति को सूचित करेगा । सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा

समिति को, यथास्थिति, समय-समय पर शिकायतों की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा ।

XVI. सामान्यतःशिकायत प्राप्त होने के छः माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, यथास्थिति, लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) को उस शिकायत पर की गई अंतिम कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे । लेकिन, यदि समय के भीतर अंतिम कार्रवाई न होने पर लोक प्रहरी को शिकायत की स्थिति सूचित करने के लिए एक अंतरिम सूचना भेजी जाएगी ।

XVII. कोई भी व्यक्ति लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) से आगे की सूचना/स्पष्टीकरण चाहता है तो इसके लिए वह सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति से अनुरोध करेगा है, जो सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लोक प्रहरी (व्हिसल ब्लोवर) से सम्पर्क करेंगे ।

## 8. व्यथा

यदि लोक प्रहरी(व्हिसल ब्लोवर) को यह लगता है कि शिकायत पर की गई अंतिम कार्रवाई से वह असंतुष्ट है या वह महसूस करता है कि जिस सुरक्षा का हकदार वह था वह उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है, तब ऐसी स्थिति में वह अपनी शिकायत को लिखकर सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति को एक अभ्यावेदन दे सकता है जिस पर वे उस शिकायत को दूर करने में लिए जैसा आवश्यक समझें, कार्रवाई करेंगे।

## 9. रिपोर्टिंग

सक्षम प्राधिकारी या अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, यथा स्थिति प्राप्त शिकायत की आवधिक रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्रवाई को लेखापरीक्षा समिति के पास प्रस्तुत करेंगे । अपेक्षित होने पर हर तिमाही के अंत या अन्य अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

## 10. संशोधनः

बीएचईएल के निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस नीति को संशोधित या रद्द किया जा सकता है।